राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1630/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री गुरू एन्टरप्राईजेज, ए–91, हनुमान नगर, वैशालीनगर, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–आई, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/2015	<u>खण्डपीठ</u> श्री मदन लाल, सदस्य <u>श्री मनोहर पुरी, सदस्य</u> अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या एस–130/AA-I/I/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 22.11.2014 को किये गये सर्वेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–आई, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 61, 55, 75(8) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.05.2015 को पारित करते हुए कुल रूपये 8,14,174/– की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा उक्त मांग राशि में से वसूली योग्य मांग राशि रूपये 7,89,259/– की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.09.2015 से अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 7,89,259/– की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री जी. एन. शर्मा ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गयी है। वक्त सर्वेक्षण मौके पर सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, जो अनियमिततायें पायी गयी थी, वो माल सप्लाई अथवा क्रेता की सहमति के अभाव में पायी गयी थी, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी का कोई करापवंचन का आशय नहीं था। अतः स्थगन के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में है। अतः प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया। लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....1630/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री गुरू एन्टरप्राईजेज, ए–91, हनुमान नगर, वैशालीनगर, जयपुर

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–आई, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/11/2015	प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 22.11.2014 को किया गया, जिसमें स्टॉक में माल कम पाया गया तथा माल लूज पर्चियों के आधार पर विक्रय किया जाना पाया गया। इस सम्बन्ध में व्यवहारी को उसके खरीद/विक्रय बिल तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये गये। किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक पेशी पर स्थगन प्राप्त किया जाता रहा। अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वांछित दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वेट अधिनियम की धारा 25(3) के तहत सर्वेक्षण की दिनांक से 6 माह के भीतर कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण समयावधि बाधित होने के कारण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का असहयोगात्मक व्यवहार मुख्य कारण रहा है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** बकाया शेष राशि **रूपये 7,89,259/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 16.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 16.11.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	